न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 01/2018

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति नायक निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	1. सतनाम सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति बावरी निवासी 10 एस ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 2. श्रवण सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति बावरी निवासी 10 एस ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 3. सतराम पुत्र जगसीर सिंह जाति बावरी निवासी 10 एस ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 4. सेवाराम सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति बावरी निवासी 10 एस ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 5. दयाल कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति बावरी निवासी 10 एस ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 6. सुरजन सिंह पुत्र करतारा सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7. सुखदेव सिंह पुत्र करतारा सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 8. बचनो पुत्री वीर सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 02.01.2018

उपस्थितः 1.श्री गुरदेव सिंह, गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- दिनांकः 18.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 एस की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के अनुसार खाता संख्या 149/136 के मुरब्बा नं0 80 की कुल 6.197 हैक्टर नहरी भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी ने प्रतिवादीगण के साथ उक्त भूमि का हिस्सा मुताबिक आपसी सहमति से घरू बंटवारा कर रखा है। वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सा पर काबिज चले आ रहे है। वादी चक 10 एस के खाता संख्या 149/136 के मुरब्बा नम्बर 80 के किला नम्बर 13 की 0.126 हेक्टैयर, 14 ता 25 सालम-सालम कुल 3.160 हेक्टैयर भूमि पर काबिज काश्त है। वादी ने अपने कब्जा की भूमि में सुधार कर गोबर रूडी की खाद डालकर उपजाउ बनाया है। उक्त भूमि वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है। वादी ने कुछ रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि को किलावाईज राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि पारिवारिक परेशानियों व व्यस्तता के चलते हम ऐसा करने में असमर्थ है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय [illegible] पूरी कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीक[illegible] बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण चक 10 एस के खाता संख्या 149/13[illegible] 13 की 0.126 हेक्टैयर, 14 ता 25 सालम-सालम कुल 3.160 हेक्टैयर भूमि का ख[illegible] लगान वादी के नाम अलग से कायम कर राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर को आदेशित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष गोयल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री सुभाष गोयल के फौत होने के पश्चात उनकी ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड ने अन्डरटेंकिग दी। वकालतनामा पेश नहीं करने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा के खाता संख्या 151/149 के मुरब्बा नम्बर 80, 103/24 की कुल 6.323 हेक्टैयर भूमि में वादी के हिस्सा में 3.160 हेक्टैयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र लालचंद के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादी अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा के खाता संख्या 151/149 के मुरब्बा नम्बर 80, 103/24 की कुल 6.323 हेक्टैयर भूमि में वादी के हिस्सा में 3.160 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	सुरेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति नायक निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	10 एस	80 [illegible]	13 14 ता 25	0.124 हेक्टैयर 3.[illegible]	नहरी [illegible]	0.86 21.0

[illegible] किया जावे। बंटवारा शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल [illegible] जावे। स्टाम्प [illegible] पर रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक [illegible] होकर बाद डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली [illegible] तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 18.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुरेन्द्र कुमार बनाम सतनाम सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 01/2018

निर्णय दिनांक :- 18.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह, गुरदयाल सिंह मल्ली उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा के खाता संख्या 151/149 के मुरब्बा नम्बर 80, 103/24 की कुल 6.323 हेक्टैयर भूमि में वादी के हिस्सा में 3.160 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	सुरेन्द्र कुमार पुत्र लालचन्द जाति नायक निवासी 3 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	10 एस	80	13 14 ता 25	0.124 हेक्टैयर 3.036 हेक्टैयर	नहरी नहरी	0.86 21.0

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 19.05.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	504	00	योग	04	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:47:20 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (आर.ए.एस)}

सहायक [illegible] उपखण्ड अधिकारी

[illegible] श्रीगंगानगर

दिनांक:-19.05.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/213

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त [illegible] की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर